



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112023-249914
CG-DL-E-06112023-249914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2023/कार्तिक 15, 1945

No. 748]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2023/KARTIKA 15, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (727).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 3028 (भाग 1) : 2018 स्वचल वाहन — मूविंग वाहनों द्वारा शोर का उत्सर्जन — विशिष्ट एवं मापन पद्धति भाग 1 एल 2 श्रेणी	संशोधन संख्या 1 अक्टूबर 2023	25 अक्टूबर 2023	24 जनवरी 2024

2	आई एस 15633 : 2022 स्वचल वाहन — सवारी कारों के लिए वातिल टायर — आड़ी और रेडियल प्लाई — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 अक्टूबर 2023	25 अक्टूबर 2023	24 अप्रैल 2024
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./530/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October 2023

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (727).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 3028 (Part 1) : 2018 Automotive Vehicles — Noise Emitted by Moving Vehicles — Specification and Method of Measurement Part 1 L2 Category	Amendment No. 1 October 2023	25 October 2023	24 January 2024
2	IS 15633 : 2022 Automotive Vehicles — Pneumatic Tyres for Passenger Car Vehicles — Diagonal and Radial Ply — Specification (First Revision)	Amendment No. 1 October 2023	25 October 2023	24 April 2024

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./530/2023-24]